आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

सीआईएन L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,- 400 005

टेलीफोन:(022) 66552779, 66553336 फैक्स:(022) 22182352

वेबसाइट : www.idbi.com, ईमेल आईडी : idbiequity@idbi.co.in

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण महासभा बुधवार, दिनांक 04 नवंबर 2015 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

विशेष कारोबार

1. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 तथा अन्य लागू कानून(नों), यदि कोई हों, के अनुसरण में और इस संबंध में अपेक्षित भारत सरकार, अन्य सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा आशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो, बैंक के निदेशक मंडल को, 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य और प्रति 65.28 रुपए के ईक्विटी शेयर प्रीमियम सहित (जिसकी गणना 05 अक्तूबर 2015 की संबंधित तारीख के संदर्भ के साथ सेबी फॉर्मूले के अनुसार की गई) है, ₹ 75.28 प्रति शेयर के मूल्य पर कुल ₹ 2229 करोड़ (दो हजार दो सौ उनतीस करोड़ रुपए मात्र) मूल्य के बैंक के 29,60,94,580 ईक्विटी शेयर भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन आधार पर, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के चैप्टर VII के प्रावधानों के अनुसार, अधिमान्य आबंटन के अंतर्गत जारी की गई उक्त पूंजी की राशि, बैंक की वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी में जोड़ी जाए, ऑफर/ इश्यू और अलॉट करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए तथा एतदद्वारा दी जाती है.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसाकि इस बारे में जरूरी और आकस्मिक समझा जाए, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
दिनांक : 01 अक्तूबर 2015

बोर्ड के आदेश से
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

IDBI BANK LIMITED

CIN: L65190MH2004GOI148838

Regd. Office-IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005

Tel.:(022) 66552779, 66553336 Fax: (022) 2218 2352, website: www.idbi.com, e-mail id:idbiequity@idbi.co.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extra-Ordinary General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Wednesday, November 4, 2015 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, General Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 to transact the following business :

SPECIAL BUSINESS

1. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT, pursuant to section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the B.R. Act, 1949, Articles of Association of the Bank, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and other applicable law(s), if any and subject to approval of Govt. of India, other statutory/ regulatory bodies, if any, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, the consent of Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to offer, issue and allot 29,60,94,580 number of equity shares of the Bank at a price of ₹ 75.28 per share comprising of the face value of ₹ 10/- each and premium of ₹ 65.28 per equity share (calculated as per SEBI formula with reference to the Relevant Date of October 05, 2015) aggregating to ₹ 2229 crore (Rupees Two Thousand Two Hundred and Twenty Nine Crore only) to Govt. of India (GoI) on Preferential Allotment basis, in terms of the provisions of chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the amount of said capital issued under the Preferential Allotment, to be added to the existing paid-up share capital of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
Dated: October 01, 2015

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मद संख्या 1 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, महासभा में भाग लेने और उसमें मत देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं मत देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में मत देने का अधिकार तभी होगा जब उन्हें नियुक्त करने वाले सदस्य ने पहले अपना वोट ई-वोटिंग या डाक द्वारा भौतिक मतपत्र के माध्यम से नहीं डाला है. इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, मताधिकार रखने वाले बैंक की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम 10 प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मताधिकार रखने वाले बैंक की कुल शेयर पूंजी की दस प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब :

   (क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.

   (ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटार्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटार्नी की नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटार्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

   (ग) प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति को बैठक में उपस्थिति के समय अपनी पहचान बताने के लिए कोई पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट अपने साथ लाना होगा.

   (घ) यदि कोई व्यक्ति 50 से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया जाता है तो ऐसा प्रॉक्सी कोई भी 50 सदस्य

NOTES:

1. Explanatory Statement in respect of Item No. 1 of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 is annexed herewith.

2. In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a General Meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote at the Meeting only in case the Member appointing him has not already cast his vote through e-voting. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent, of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:

   (a) It is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.

   (b) It is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

   (c) The person appointed as a Proxy shall prove his identity at the time of attending Meeting and for the purpose, such person shall carry proof of identity, viz., PAN card or Voter ID or AADHAAR card or Driving Licence or Passport, with him at the time of attending the Meeting.

   (d) If a person is appointed Proxy for more than fifty members, such Proxy shall choose any fifty

चुनकर बैंक की निरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट अवधि शुरू होने के पहले अर्थात मंगलवार दिनांक 3 नवंबर 2015 को अपराह्न 3:30 बजे से पहले बैंक को इसकी पुष्टि करेगा. यदि प्रॉक्सी सूचित नहीं कर पाता है तो बैंक पहले प्राप्त 50 प्रॉक्सियों को वैध मानेगा.

3. सदस्यों / प्रॉक्सियों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे विधिवत् भरा हुआ पहचान फॉर्म साथ लाएं.

4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में दिए अनुसार असाधारण महासभा के लिए कोरम सभा में तीस सदस्यों (केंद्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पूरा होगा.

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकराम गुडा, हैदराबाद – 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. – 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के ईक्विटी कक्ष, 20वीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779, 66553062, 66553336 फैक्स नं. (022) 22182352 ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

6. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

7. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.

8. कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) यथासंशोधित के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:

   i असाधारण महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

   ii. बैंक असाधारण महासभा के स्थान पर टैबलेट आधारित ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है और असाधारण महासभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट नहीं दिए हैं, वे असाधारण महासभा में अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे.

   iii. ऐसे सदस्य जो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट दे चुके हैं वे भी असाधारण महासभा में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे असाधारण महासभा में दोबारा अपना वोट नहीं दे पाएंगे.

   iv. इस नोटिस के साथ भेजे जा रहे फार्म में लॉगिन आईडी के ब्योरे दिए गए हैं.

9. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, असाधारण महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई शेयरधारकों, जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **28 अक्तूबर 2015** (दिवस की कारोबार में समाप्ति), रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या डाक द्वारा भौतिक

Members and confirm the same to the Bank before the commencement of specified period for inspection, i.e., before 3:30 p.m. (IST) on Tuesday, November 3, 2015. In case such Proxy fails to inform, the Bank will consider the first fifty proxies received, as valid.

3. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in.

4. The quorum for the Extra-Ordinary General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present in the meeting.

5. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel.No.(022) 66552779, 66553062, 66553336, Fax No.(022) 22182352, E-mail:idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

6. Register of Members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1.00 p.m.

7. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

8. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended;

   i) The Item of Business given in the EGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

   ii) The Bank is providing facility for tablet based e-voting at the venue of EGM and Members attending the EGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to cast vote at the EGM.

   iii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the EGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the EGM.

   iv) Details of login id are given in Identification Form sent alongwith this Notice.

9. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the Item of Business given in the EGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **October 28, 2015** (End of Day), being the

मतपत्र फॉर्म के माध्यम से या वार्षिक महासभा में वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हितकर स्वामी हैं, द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देकर किया जाएगा.

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार होगी :

[क] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई-मेल खोलें तथा अपने क्लाईंट आईडी और फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात् 'IDBI Bank Limited e Voting.pdf' को खोलें. उक्त पीडीएफ फ़ाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

ii. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें

iii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें.

iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. "Login" पर क्लिक करें.

v. Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

vi. e-Voting' का होम पृष्ठ खुलेगा. "e-Voting"- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें.

viii. Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **शनिवार, 31 अक्तूबर 2015 (भारतीय मानक समयानुसार पूर्वाह्न 12:00 बजे)** को शुरू होगी और **मंगलवार, 3 नवंबर 2015 को समाप्त होगी (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे).**

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दे, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें.

x. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद पर मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजे और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised whether by remote e-voting or by voting at the EGM.

The process and manner of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of NSDL and who do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://www.evoting.nsdl.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **Saturday, October 31, 2015 (12:00 a.m. IST)** and ends on **Tuesday, November 03, 2015 (5:00 p.m. IST).**

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

[ख] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई वोटिंग सेवा के लिए पहले से ही पंजीकृत है.

i. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

ii. Shareholder - Login पर क्लिक करें, अपना यूज़र आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" का प्रयोग कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)

iii. "Login" पर क्लिक करें.

iv. "e-Voting" का होम पेज प्रदर्शित होगा. e-Voting- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

v. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के E-Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार मत डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता. ईवीईएन के लिए, आप संकल्प पर वोट करने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि **3 नवंबर 2015 को शाम 5:00 बजे तक (आईएसटी)**, जो भी पहले हो, एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं.) मतदान अवधि **शनिवार, 31 अक्तूबर 2015 को पूर्वाह्न 12:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** शुरू तथा **मंगलवार, 3 नवंबर 2015 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) समाप्त होगी.**

vi. "Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं.

vii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, "**Submit**" पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर "**Confirm**" पर क्लिक करें.

viii. यदि आपने संकल्प पर मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ix. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

[ग]असाधारण महासभा सूचना प्रेषण की गणना के लिए ऐसे व्यक्तियों के संबंध में अनुदेश जो नियत (कट ऑफ) तारीख अर्थात् 25 सितंबर 2015 तथा 28 अक्तूबर 2015(शेयरधारकों के मताधिकार के लिए कट-ऑफ तारीख की गणना होने के कारण) के बाद बैंक के सदस्य बने हैं

25 सितंबर 2015 (भेजी गई ईजीएम सूचना की गणना की अंतिम तिथि) से 28 अक्तूबर 2015 (सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना की अंतिम

[B]Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of NSDL

i. Launch internet browser by typing URL: https://www.evoting.nsdl.com

ii. Click on Shareholder - Login

Enter your User ID and existing password ***(If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com)***

iii. Click Login

iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles

v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to **5:00 p.m. (IST) of November 03, 2015**, whichever is earlier. Voting period commences on and from **Saturday, October 31, 2015 (12:00 a.m. IST)** and ends on **Tuesday, November 03, 2015 (5:00 p.m. IST).**

vi. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "**Submit**" and also "**Confirm**" when prompted

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

[C] Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the despatch of EGM Notice, i.e., September 25, 2015 and upto October 28, 2015 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from September 25, 2015 (cut-off date for reckoning the dispatch of EGM Notice) till October 28, 2015 (cut-off date for reckoning voting rights of

तिथि) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित करने वाले तथा 28 अक्तूबर 2015 की उक्त अंतिम तिथि तक अपनी सदस्यता बरकरार रखने वाले व्यक्ति, रिमोट ई-वोटिंग अथवा ईजीएम स्थल पर टैब वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. यदि ऐसे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट के विकल्प का चयन करते हैं तो वे अपनी शेयरधारिता विवरण जैसे नाम, धारित शेयर, फोलियो नं. अथवा डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी नं. आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत हैं तो आप अपने वर्तमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए अपना वोट दे सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password" विकल्प के माध्यम से आप उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के वोटिंग संबंधी अधिकार निर्दिष्ट तारीख 28 अक्तूबर 2015 तक बैंक के चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे.
- सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें ईजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन को सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ऐसी स्थिति में आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' विकल्प पर जाना होगा.
- आप अपने लॉगिन आईडी और वर्तमान पासवर्ड का उपयोग विशेष रूप से अपनी शेयरधारिता वाली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों के संबंध में ई-वोटिंग करने के लिए कर सकते हैं.
- आपसे पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें तथा इसे गोपनीय रखने के लिए समुचित सावधानी बरतें.
- सदस्यगण कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा मंगलवार, 03 नवंबर 2015 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) के बाद ब्लॉक कर दी जाएगी.
- यथा 28 अक्तूबर 2015 अर्थात् ई-वोटिंग की नियत अंतिम तारीख को बैंक की सदस्यता न रखने वाले व्यक्ति इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में लें.

  इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032 स्थित बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टॉल फ्री नं. 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लि., ईक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 (022-66552779 /3336 /3062) अथवा एनएसडीएल – टॉल फ्री नं. 1800 222 990 से संपर्क कर सकते हैं.

10. जिन सदस्यों ने पूर्व में रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मत नहीं डाले हैं, उन्हें ईजीएम के आयोजन स्थल पर टैबलेट के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of October 28, 2015, can exercise their voting right through remote e-voting or Tab voting at the venue of EGM. In case, such Members opt to vote through remote e-voting, they may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forget your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of October 28, 2015.
- A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Tuesday, November 03, 2015 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on October 28, 2015, i.e., Cut-off date fixed for e-voting, shall treat this Notice as for information only.

  For any further details in this regard, you may contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022-66552779 /3336 /3062) or NSDL -Toll Free No. 1800 222 990.

10. Facility of e-voting through Tablets, to cast vote at the venue of EGM will be provided to the Members who have not cast their vote earlier through remote e-voting.

11. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 6 नवंबर 2015 तक अथवा उससे पहले बैंक की वेबसाइट www.idbi.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित कर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.

12. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में सहभागिता करने वाले प्रत्येक सहभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है. अत इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते रखने वाले डिपॉजिटरी सहभागी को अपना पैन प्रस्तुत करें. भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्य अपना पैन बैंक / कार्वी को प्रस्तुत कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण नोट:-

यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लेने अथवा टैब के ज़रिए ईजीएम में वोटिंग के लिए केवल वही शेयरधारक पात्र होंगे जिनके नाम सदस्यों की बही में दर्ज हैं अथवा जो उपर्युक्त नियत तारीख 28 अक्तूबर 2015 को शेयरों के हितकर स्वामी हैं.

नोटिस का अनुबंध

विशेष कारोबार की मद सं. 1 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

बैंक को भारत सरकार का दिनांक 19 अगस्त 2015 का पत्र प्राप्त हुआ जिसके द्वारा उन्होंने समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक को अपनी टीयर I पूंजी बरकरार रखने में सहायता करने के लिए भारत सरकार की ओर से पूंजी सहायता के प्रति ₹ 2229 करोड़ (दो हजार दो सौ उनतीस करोड़ रुपये मात्र) तक की राशि लगाने के निर्णय के बारे में सूचित किया था. दिनांक 12 अगस्त 2015 को संपन्न बैंक की वार्षिक महासभा में पहले ही पारित हो चुके समर्थकारी विशेष संकल्प के आधार पर बोर्ड से अनुमोदन लेने तथा बीएसई एवं एनएसई के अनुमोदन के बाद बैंक ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि शेयरों के आबंटन के लिए ₹ 2229 करोड़ की विचाराधीन राशि विप्रेषित की जाए. भारत सरकार ने दिनांक 21 सितंबर 2015 के पत्र द्वारा बैंक को यह सूचित किया है कि भारत सरकार को अधिमान्य पूंजी निर्गम के बारे में अनुमोदन के लिए असाधारण महासभा का आयोजन किया जाए. तदनुसार, भारत सरकार के उक्त निदेश का अनुपालन करते हुए यह प्रस्ताव रखा जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों से जिसमें 10/- रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य और प्रति ईक्विटी शेयर 65.28 रु. के प्रीमियम पर 75.28 रु. के मूल्य पर कुल रु. 2229 करोड़ (दो हज़ार दो सौ उनतीस करोड़ रुपए) के 29,60,94,580 ईक्विटी शेयर भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन आधार पर ऑफर, निर्गम और आबंटन करने के लिए नया अनुमोदन प्राप्त किया जाए. सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार शेयरों का अधिमान्य आबंटन, अंशधारकों द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर अथवा भारत सरकार के अनुमोदन और/या किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक अनुमोदन, यदि कोई हो, की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर पूरा करना अपेक्षित है. इसके अलावा असाधारण महासभा की नोटिस के साथ भेजे जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण में अंशधारकों के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के विनियम 73 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार अधिमान्य आबंटन के संबंध में किए जाने वाले विशेष प्रकटन अंशधारकों की जानकारी हेतु नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

11. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before November 06, 2015 by displaying the same on Bank's Website www.idbi.com and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. Further, the result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) on the same day.

12. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to the Bank/ Karvy.

IMPORTANT NOTE:-

It is clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of October 28, 2015, will be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Tabs at the venue of EGM.

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statement in respect of Item No.1 of the Special Business in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

The Bank had received Govt. of India's (GoI) letter dated August 19, 2015 conveying their decision to infuse funds to the tune of ₹ 2229 crore (Rupees Two Thousand Two Hundred and Twenty Nine Crore), towards capital support from Govt. of India to enable IDBI Bank to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant regulatory guidelines issued from time to time. Based on the enabling Special Resolution already passed at the Bank's AGM held on August 12, 2015, after taking Board's approval and BSE's and NSE's approval, the Bank requested GoI to remit the consideration amount of ₹ 2229 crore for allotment of shares. GoI, vide letter dated September 21, 2015, advised the Bank to convene an EGM for approval of Preferential Issue of Capital to GoI. Accordingly, in compliance of GoI's said directive, it is proposed to obtain shareholders' fresh approval under section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to offer, issue and allot 29,60,94,580 number of equity shares of the Bank at a price of ₹ 75.28 per share comprising of the face value of ₹ 10/- each and premium of ₹ 65.28 per equity share aggregating to ₹ 2229 crore (Rupees Two Thousand Two Hundred and Twenty Nine Crore) to Govt. of India on Preferential Allotment Basis. In terms of the provisions of chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Preferential Allotment of shares is required to be completed within a period of 15 days from the date of passing of resolution by the shareholders or within 15 days of getting approval of GoI and/ or other statutory/ regulatory approval, if any. Moreover, the specific disclosures relating to the Preferential Allotment as prescribed under Regulation 73 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to be made to the shareholders in the Explanatory Statement annexed to the Notice of EGM are submitted herein-below for information of the shareholders:

अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को संवर्धित करने के लिए जिसकी गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है.
ऑफर में अभिदान के लिए प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा निर्गमकर्ता के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों का प्रस्ताव	प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार ने दिनांक 19 अगस्त 2015 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी का अधिमानी आबंटन जारी कर आईडीबीआई बैंक को 2229 करोड़ रुपये (दो हज़ार दो सौ उनतीस करोड़ रुपये) पूंजी निधि प्रदान करने के अपने निर्णय की जानकारी दी है.
निर्धारित तारीख तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, | 2009 के अनुसार परिकलित मूल्य	निर्धारित तारीख 5 अक्तूबर 2015 है (अर्थात 4 नवंबर 2015 को विशेष संकल्प परित होने के 30 दिन पहले) तथा सेबी फॉर्मूले के आधार पर गणना किए गए प्रति ईक्विटी शेयर (जिसमें अंकित मूल्य के रूप में 10/- रु. तथा शेयर प्रीमियम राशि के रूप में 65.28 रु. हैं) मूल्य 75.28 रु हैं.
अधिमानी निर्गम के पहले तथा बाद निर्गमकर्ता की शेयरधारिता पद्धति	**आईडीबीआई बैंक लि. की अधिमानी निर्गम से पहले की शेयरधारिता पद्धति:**

	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
प्रवर्तक (भारत सरकार)	1227018622	76.50%
गैर प्रवर्तक	376940078	23.50%
कुल	**1603958700**	**100.00%**

आईडीबीआई बैंक लि. की अधिमानी निर्गम के बाद की शेयरधारिता पद्धति:

	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
प्रवर्तक (भारत सरकार)	1523113202	80.16%
गैर प्रवर्तक	376940078	19.84%
कुल	**1900053280**	**100.00%**

अधिमानी निर्गम पूरा करने की समय-सीमा	विशेष संकल्प पारित होने के 15 दिनों के भीतर अधिमानी आबंटन का कार्य पूरा कर लिया जाए अर्थात 4 नवंबर 2015 से 15 दिनों के भीतर अथवा भारत सरकार तथा / अथवा अन्य किसी सांविधिक / विनियामक निकाय से भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी का अधिमानी निर्गमन करने का अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर.

The objects of the Preferential Issue	To augment the capital adequacy of the Bank computed in terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.
The proposal of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer	The Promoter, Govt. of India has, vide letter dated August 19, 2015, conveyed its decision to infuse capital funds to the tune of ₹ 2229 crore (Rupees Two Thousand Two Hundred and Twenty Nine Crore) in IDBI Bank by way of preferential allotment of equity in favour of Govt. of India.
Relevant date and the price computed as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009	The Relevant Date is October 5, 2015 (i.e. 30 days prior to the date of passing of special resolution on November 4, 2015) and the price calculated as per SEBI formula is ₹ 75.28 per equity share (comprising of ₹ 10/- as face value and ₹ 65.28 per share as share premium amount).
The shareholding pattern of the Issuer before and after the Preferential Issue.	**Pre Preferential Issue Share holding Pattern of IDBI Bank Ltd.**

	No. of Shares	%
Promoters (GoI)	1227018622	76.50%
Non Promoters	376940078	23.50%
Total	**1603958700**	**100.00%**

Post Preferential Issue Share holding Pattern of IDBI Bank Ltd.

	No. of Shares	%
Promoters (GoI)	1523113202	80.16%
Non Promoters	376940078	19.84%
Total	**1900053280**	**100.00%**

The time within which the Preferential Issue shall be completed	The Preferential Allotment shall be completed within 15 days from the date of passing of special resolution, i.e., within 15 days from November 4, 2015 or within 15 days of the receipt of approval, if any, from GoI and/ or any other statutory/ regulatory body in respect of Preferential Issue of Equity in favour of GoI.

प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान, उनके द्वारा धारित किया जा सकने वाला अधिमान्य निर्गम के पश्चात का प्रतिशत और अधिमान्य निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता में नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो,	शेयर भारत सरकार, प्रवर्तक को आबंटित करने का प्रस्ताव है. अधिमान्य निर्गम के पश्चात आईडी बीआई बैंक के प्रवर्तक होने के कारण भारत सरकार 10 रु. प्रत्येक के 1523113202 ईक्विटी शेयर भारत सरकार धारित करेगी जो आईडीबीआई की अधिमान्य निर्गम पश्चात पूंजी का 80.16% है और पूंजी के इस अधिमान्य निर्गम के बाद बैंक के नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.
यह वचनपत्र कि निर्गमकर्ता आवश्यकतानुसार इन विनियमनों के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनः गणना करेगा.	लागू नहीं क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 26 हफ्तो से अधिक अवधि से सूचीबद्ध हैं.
यह वचनपत्र कि यदि मूल्य की पुनः गणना के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमनों में निर्धारित समय के भीतर नहीं होता है तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ उस समय तक लॉक रहेंगी जबतक आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाये.	लागू नहीं क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 26 हफ्तो से अधिक अवधि से सूचीबद्ध हैं.
प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम पर विचार करते हुए कि शेयरधारकों की साधारण सभा के समक्ष यह प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए कि यह निर्गम इन विनियमनों की आवश्यकताओं के क्रम में किया जा रहा है.	सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सांविधिक लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र ईजीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
निर्गम के लिए प्रतिफल	नकदी में प्रतिफल की प्राप्ति पर ईक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे.

The identity of the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the Issuer consequent to the preferential issue	The shares are proposed to be allotted to Govt. of India, the Promoter. Post Preferential Issue, GoI will hold 1523113202 equity shares of ₹10/- each being 80.16% of the Post Preferential Issue Capital of IDBI Bank and GoI, being Promoters of IDBI Bank, there will be no change in the control of the Bank post Preferential Issue of Capital.
An undertaking that the Issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these regulations where it is required to do so.	Not Applicable as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than Twenty Six Weeks.
An undertaking that if the amount payable on account of the re-computation of the price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottees.	Not Applicable as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than Twenty Six Weeks.
To place a copy of the certificate of statutory auditors before the General Meeting of the share holders, considering the proposed preferential issue certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations.	The certificate of Statutory Auditors will be placed before the EGM.
Consideration for the Issue	The equity shares will be issued against receipt of consideration in cash

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए एक विशेष संकल्प पारित कर निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है.

यह उल्लेख किया जाता है कि पूर्वोक्त विशेष संकल्प को पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधि(यों) का, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कोई भी वित्तीय या अन्य सरोकार या हित नहीं है.

The shareholders' approval is sought by the Board of Directors for the above purpose by passing a special resolution in this regard.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative(s) is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
दिनांक : 01 अक्तूबर 2015

बोर्ड के आदेश से
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
Dated: October 01, 2015

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

NOTES

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

सीआईएन L65190MH2004GOI148838

फॉर्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी-फॉर्म

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

कंपनी का नाम: आईडीबीआई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005

सदस्य(यों) का/के नाम:

पंजीकृत कार्यालय:

ईमेल आईडी:

फोलियो सं./डीपी आईडी - ग्राहक आईडी:

मैं/ हम, ऊपर उल्लिखित कंपनी के ________________ शेयरों के धारक सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा

1. नाम :..
   पता :
   ईमेल आईडी :
   हस्ताक्षर :.. को अथवा उनके अनुपस्थित होने पर,
2. नाम :..
   पता :
   ईमेल आईडी :
   हस्ताक्षर :.. को अथवा उनके अनुपस्थित होने पर,
3. नाम :..
   पता :
   ईमेल आईडी :
   हस्ताक्षर :..

को यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021, में 4 नवंबर 2015 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जानेवाली और/या उसके किसी स्थगन पर आयोजित होनेवाली बैंक की असाधारण महासभा में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में अपने/हमारे लिए और/या अपनी/हमारी ओर से उपस्थित होने और/या मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं:

विशेष संकल्प संख्या: 1

भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन आधार पर कुल ₹ 2229 करोड़ (दो हज़ार दो सौ उनतीस करोड़ रुपए) के ₹ 75.28 प्रति शेयर की कीमत पर प्रत्येक ₹ 10/- के 29,60,94,580 ईक्विटी शेयर ऑफर, जारी और आबंटित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत संकल्प.

दिनांक __________ माह __________ 2015 को हस्ताक्षरित.

रेवेन्यू टिकट लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर: ________________________

प्रॉक्सी धारक(को) के हस्ताक्षर :

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत से भरा जाए तथा इसे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (अर्थात् सोमवार, 02 नवंबर 2015 को अपराह्न 3.30 बजे तक या इससे पहले) बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए.

IDBI BANK LIMITED
CIN L65190MH2004GOI148838

Form No. MGT-11
Proxy Form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3)of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Name of the company: IDBI Bank Ltd.

Registered office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005

Name of the member (s):

Registered address:

E-mail Id:

Folio No/ DP ID - Client Id:

I/We, being the member (s) of .... shares of the above named company, hereby appoint

1. Name: ....
   Address: ....
   E-mail Id: ....
   Signature:.. or failing him
2. Name: ....
   Address: ....
   E-mail Id: ....
   Signature: .... or failing him
3. Name: ....
   Address: ....
   E-mail Id: ....
   Signature: ....

as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the **Extra-ordinary General Meeting of the Bank, to be held on the 4th day of November** 2015 **at** 3.30 **p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai** – 400 021 and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Special Resolution No. 1

Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to offer, issue and allot 29,60,94,580 equity shares of ₹ 10/- each at a price of ₹ 75.28 per share aggregating to ₹ 2229 crore (Rupees Two Thousand Two Hundred and Twenty Nine Crore only) to Govt. of India on Preferential Allotment basis.

Signed this...... day of......... 2015

Signature of shareholder: --

Signature of Proxy holder(s)

Affix Revenue Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Bank, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting (i.e. on or before 3.30 p.m. on Monday November 02, 2015).